सं0-19/2016/725/62-2-2016-2/3(18)/2015

प्रेषक,

डा0 प्रभात कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनउ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 16 मार्च,2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन केन्द्र पुरोनिधानित योजना में संचालित डिग्री/डिप्लोमा होल्डर्स का प्रशिक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-जी-316/ल0सिं0/बजट-के0पो0/ 2015-16, दिनांक 19.02.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन केन्द्र पुरोनिधानित योजना में संचालित डिग्री/डिप्लोमा होल्डर्स का प्रशिक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि `&26.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं0-1883/62-2-2015-2/3(18)/2015, दिनांक 31.7.2015 द्वारा निर्गत धनराशि `&13.00 लाख के क्रम में अवशेष धनराशि `&13.00 लाख (`&तेरह लाख मात्र) की धनराशि को उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31.7.2015 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन राज्यपाल महोदय आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाय कि पूर्व स्वीकृत धनराशि `&13.00 लाख की अवशेष धनराशि `&5.40 लाख का सम्पूर्ण व्यय सुनिश्चित होने के उपरांत ही आवश्कतानुसार धनराशि आहरित की जाय तथा अवमुक्त की गयी धनराशि व्यय होने के उपरांत भारत सरकार से प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करते हुए धनराशि प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान सं0-13 के अन्तर्गत " लेखाशीर्षक-2702-लधु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं-0101-लघु सिंचाई के अन्तर्गत अभियंत्रण स्नातक/डिप्लोमा होल्डर्स का प्रशिक्षण (के.50/स.50-के.स.)-21-छात्रवृतियां और छात्र वेतन " के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अ0 शा0 प0 सं0-यू0 ओ0-ई-2-247/दस-2016, दिनांक 14.03.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 प्रभात कुमार)
प्रमुख सचिव।

सं0-19/2016/725(1)/62-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
3- राज्य योजना आयोग अनुभागक-3, उ0 प्र0 शासन।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
5- निदेशक, सूचना, उ0प्र0।
6- एन0आई0सी0 की प्रति।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।